राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

बनाम

देवी सिंह

(सिविल अपील संख्या- 4327/2003)

14 फ़रवरी 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

सेवा विधि:

नियमितीकरण - आकस्मिक श्रमिकों द्वारा दावा - लंबे समय तक सेवा प्रदान करने के आधार पर - उच्च न्यायालय ने नियोक्ता को नियमितीकरण के लिए उनके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया - अपील में, अभिनिर्धारित किया गया: मामले को उमा देवी के मामले में निर्णय के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है - उच्च न्यायालय को प्रेषित - राजस्थान लोक सेवा में नियुक्तियों का विनियमन और कर्मचारियों का युक्तिकरण अधिनियम, 1999 - धारा 7, 9, 11 और 19 - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 - सार्वजनिक नियुक्ति।

उत्तरदाताओं को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं क्योंकि जिस अनुसंधान केंद्र में उनकी नियुक्ति हुई थी वहाँ कोई और काम नहीं था। उन्होंने रिट याचिकाएं दायर कर नियोक्ता-अपीलकर्ता को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियमितीकरण का लाभ देने और उस तारीख से नियमित वेतनमान देने का निर्देश देने की मांग की, जिस दिन से उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को नियमितीकरण और नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया था।

राजस्थान लोक सेवा में नियुक्तियों के विनियमन और कर्मचारी युक्तिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 7, 9, 11 और 19 को भारत के संविधान, 1950 के दायरे से बाहर घोषित करने की भी प्रार्थना की गई। उच्च न्यायालय ने धारा 9, 11 और 19 को अधिकारातीत घोषित किया और अपीलकर्ता को प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि 1992 से 1995 तक कोई भी उत्तरदाता विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं था, उनके कनिष्ठ, यदि कोई हो, को नियमित किये जाने की तिथि से नियमितीकरण का लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि लंबे समय तक सेवा प्रदान करने के कारण वे नियमितीकरण के हकदार थे।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: 1. यह निर्देश देते समय कि नियुक्तियाँ, अस्थायी या आकस्मिक, नियमित या स्थायी की जाएँ, अदालतें इस तथ्य से प्रभावित होती हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ समय के लिए और कुछ मामलों में काफी समय तक काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति किसी अस्थायी या आकस्मिक प्रकृति की नियुक्ति स्वीकार करता है, उसे अपने रोजगार की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है। वह रोज़गार को खुली आँखों से स्वीकार करता है। यह सच हो सकता है कि वह ज्यादा देर तक मोलभाव करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी रोजगार की तलाश में है और जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन केवल उस आधार पर, नियुक्ति की संवैधानिक योजना को खारिज करना और यह विचार करना उचित नहीं होगा कि जो व्यक्ति अस्थायी या आकस्मिक रूप से

नियोजित हुआ है, उसे स्थायी रूप से जारी रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा करके, यह सार्वजनिक नियुक्ति का एक और तरीका तैयार करेगा जिसकी अनुमति नहीं है। [पैरा 6] [857-डी, ई, एफ और जी]

1.2. यह तर्क कि चूंकि कोई इस पद पर कुछ समय से काम कर रहा है, इसलिए उसे नौकरी से हटा देना उचित नहीं होगा, भले ही जब उसने पहली बार यह नौकरी ली थी तो उसे इसकी प्रकृति के बारे में पता था, लेकिन यह तर्क ऐसा नहीं है जो उसे नौकरी से हटा देगा। सार्वजनिक रोजगार के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिकता और अवसर की समानता की कसौटी पर परखा जाने पर असफल होना पड़ेगा। यह भी नहीं माना जा सकता कि राज्य ने इन व्यक्तियों को नियुक्त करते समय या तो उन्हें वहीं नियमित रखने या उन्हें स्थायी करने का कोई वादा किया है। कोई भी राज्य संवैधानिक रूप से ऐसा वादा नहीं कर सकता। [पैरा 6] [858-ई एवं एफ; 859-बी]

भवानी सिंह एवं अन्य बनाम राज्य और अन्य 2002)' वेस्टर्न लॉ केसेस 728; सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एससीसी 1 - पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या- 4327/2003

दिनांक 06.02.2003 को डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 849/2002 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 712/2004, 1053, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313 और 4314/2006

उपस्थित पक्षकारों की ओर से: अरुणेश्वर गुप्ता, ए.ए.जी., पुनीत जैन, क्रिस्टी जैन, एच.डी. थानवी, सरद कुमार सिंघानिया, सुशील कुमार जैन, नवीन कुमार सिंह, शाश्वत गुप्ता, सैयद अली अहमद, सैयद तनवीर अहमद, गिरधर उपाध्याय, विनीता जी उपाध्याय, आशा उपाध्याय, यू.के. शांडिल्य, विजय कुमार पंडिता, अवधेश कुमार सिंह, एस.एस. बंधोपाध्याय, आर.डी. उपाध्याय, बी.डी. शर्मा, आर.सी. कोहली, सूर्यकांत, ए. मारियारपुथन, अरुणा माथुर, (मेसर्स अर्पुथम, अरुणा एंड कंपनी की ओर से), सुशील बलवाड़ा, रामेश्वर प्रसाद गोयल।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1. इन अपीलों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें राजस्थान (सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियों का विनियमन और कर्मचारी युक्तिकरण) अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत प्रत्येक मामले में प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

2. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

प्रतिवादीगण को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था।उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अनुसंधान केंद्र में आगे कोई काम नहीं था जहां उन्हें नियुक्त किया गया था और/या इस आधार पर कि कोई काम उपलब्ध नहीं था और कोई अनुमोदित सूची नहीं थी राजस्थान राज्य ने वर्ष 1999 में यह अधिनियम पारित किया था।

3. प्रत्येक मामले में प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि वर्तमान अपीलकर्ता को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर नियमितीकरण का लाभ देने और उस तारीख से प्रभावी वेतन का नियमित वेतनमान

देने का निर्देश दिया जाए जिस तिथि से उनके कनिष्ठ व्यक्तियों को नियमितीकरण और नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया था। अधिनियम की धारा 7, 9, 11 और 19 को भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के दायरे से अधिकारातीत घोषित करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी।

4. उच्च न्यायालय ने भवानी सिंह और अन्य बनाम राज्य और अन्य (2002 (3) वेस्टर्न लॉ केसेस 728) में पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए धारा 9, 11 और 19 को अधिकारातीत घोषित कर दिया और अपीलकर्ता को पूर्वोक्त निर्णय के आलोक में नियमितीकरण के लिए प्रत्येक मामले में रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया और यदि उसे पात्र पाया जाता है तो उसे उस तारीख से नियमितीकरण के लिए पात्र माना जावे जिस दिन उससे कनिष्ठ किसी अन्य व्यक्ति को समान लाभ प्रदान किया गया था।

5. अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि चूंकि उत्तरदाताओं में से कोई भी 1992 से 1995 तक विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं था, इसलिए उसके कनिष्ठ, यदि कोई हो, को नियमित किए जाने की तारीख से नियमितीकरण का लाभ बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता है। उत्तरदाताओं का कहना था कि लंबे समय तक सेवा प्रदान करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति नियमितीकरण का हकदार है। लंबे समय तक सेवा प्रदान करने के आधार पर सेवा के नियमितीकरण से संबंधित प्रश्न इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006 (4) एससीसी 1) मामले में दिए गए निर्णय का विषय था।

6. फैसले में उक्त मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचार किया गया है। यह अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार अभिनिधारित किया गया थाः

"33. इस पहलू पर इस न्यायालय के सभी फैसलों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। मुख्य तौर पर जो बात सामने आती है वह यह है कि नियमित भर्ती पर जोर दिया जाना चाहिए, केवल आकस्मिक स्थिति में और स्थायी रिक्ति में तदर्थ नियुक्ति की जा सकती है लेकिन इसके बाद जल्द ही नियमित भर्ती की जानी चाहिए और नियमितीकरण के लिए गैर-उपलब्ध पदों पर नियुक्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। नियमितीकरण का निर्देश देने वाले मामले मुख्य रूप से इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि कर्मचारी को कुछ अवधि के लिए काम करने की अनुमति देने के बाद, उसे सार्वजनिक रोजगार के लिए संवैधानिक योजना पर चर्चा करने के बाद, वास्तव में उस प्रभाव के लिए कोई कानून निर्धारित किए बिना, शामिल किया जाना चाहिए।

45. नियुक्तियों, अस्थायी या आकस्मिक, को नियमित या स्थायी करने का निर्देश देते समय, अदालतें इस तथ्य से प्रभावित होती हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ समय के लिए और कुछ मामलों में काफी समय तक काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति किसी अस्थायी या आकस्मिक प्रकृति की नियुक्ति स्वीकार करता है, उसे अपने रोजगार की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है। वह रोज़गार को खुली आँखों से स्वीकार करता है। यह सच हो सकता है कि वह मोल-भाव करने की स्थिति में नहीं है - सीधे तौर पर नहीं - क्योंकि हो सकता है कि वह अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी रोजगार की तलाश कर रहा हो और उसे जो कुछ भी मिलता है वह स्वीकार कर लेता है। लेकिन केवल उसी आधार पर, नियुक्ति की संवैधानिक योजना को रद्द करना और यह विचार रखना उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति जिसे अस्थायी रूप से या आकस्मिक रूप से नौकरी मिल गई है, उसे स्थायी रूप से जारी रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से, यह सार्वजनिक नियुक्ति का एक और तरीका तैयार करेगा जो स्वीकार्य नहीं है। यदि न्यायालय इस आधार पर इस प्रकार के संविदात्मक रोजगार को रद्द कर देता है कि पक्षकारों के पास समान सौदेबाजी की शक्ति नहीं है, तो वह

भी न्यायालय को उस कर्मचारी को कोई राहत देने में सक्षम नहीं बनाएगा। ऐसे आकस्मिक या अस्थायी रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है। प्रशासन की आवश्यकताओं को देखते हुए, और यदि लागू किया जाता है, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि कुछ लोग जिन्हें कम से कम अस्थायी रूप से, अनुबंध या आकस्मिक रूप से रोजगार मिलता है, उन्हें वह रोजगार भी नहीं मिलेगा, इसके अलावा जब इस तरह के रोजगार को प्राप्त करने से उन्हें कम से कम कुछ मदद मिलती है। आख़िरकार, हमारे विशाल देश के असंख्य नागरिक रोज़गार की तलाश में हैं और यदि कोई ऐसे रोज़गार में जाने का इच्छुक नहीं है तो वह आकस्मिक या अस्थायी रोज़गार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यह उस संदर्भ में है कि किसी को इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि रोजगार को उसकी प्रकृति और उससे होने वाले परिणामों को पूरी तरह से जानते हुए स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में, रोजगार स्वीकार करते समय भी संबंधित व्यक्ति अपने रोजगार की प्रकृति को जानता है। यह वास्तविक अर्थों में किसी पद पर नियुक्ति नहीं है। जिस पद पर वह अस्थायी रूप से कार्यरत है, उस पद पर उसके द्वारा प्राप्त दावे या उस पद में रुचि को इतना बड़ा नहीं माना जा सकता है कि राज्य की सेवाओं में उपलब्ध पदों पर नियमित नियुक्तियां करने के लिए स्थापित प्रक्रिया को छोड़ दिया जाए। यह तर्क कि चूंकि कोई इस पद पर कुछ समय से काम कर रहा है, इसलिए उसे नौकरी से हटा देना उचित नहीं होगा, भले ही जब उसने पहली बार यह नौकरी ली थी तो उसे इसकी प्रकृति के बारे में पता था, लेकिन यह तर्क ऐसा नहीं है जो उसे नौकरी से हटा देगा। सार्वजनिक रोजगार के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिकता और अवसर की समानता की कसौटी पर परीक्षण किए जाने पर विफल हो जाएगी।

47. जब कोई व्यक्ति अस्थायी रोजगार में प्रवेश करता है या संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है और नियुक्ति प्रासंगिक नियमों

या प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन पर आधारित नहीं होती है, तो वह नियुक्ति के अस्थायी, आकस्मिक या संविदात्मक होने के परिणामों से अवगत होता है। ऐसा व्यक्ति पद पर स्थायी होने की वैध उम्मीद के सिद्धांत का सहारा नहीं ले सकता, जबकि पद पर नियुक्ति केवल चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करके और संबंधित मामलों में, लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही की जा सकती है। इसलिए, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को अस्थायी, संविदात्मक या आकस्मिक कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह भी नहीं माना जा सकता है कि राज्य ने इन व्यक्तियों को शामिल करते समय या तो उन्हें नियमित रखने के लिए या उन्हें स्थायी बनाने के लिए कोई वादा किया है। राज्य संवैधानिक रूप से ऐसा वादा नहीं कर सकता है। यह भी स्पष्ट है कि पद पर स्थायी किए जाने की सकारात्मक राहत पाने के लिए इस सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

52. आम तौर पर, जब ऐसे अस्थायी कर्मचारी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, तो नियोक्ता, राज्य या उसके सहायकों को उन्हें स्थायी सेवा में शामिल करने या उन्हें जारी रखने की अनुमति देने के लिए परमादेश की रिट जारी करने की मांग की जाती है। इस संदर्भ में, सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में परमादेश जारी किया जा सकता है। इस मोड़ पर, डॉ. राय शिवेंद्र बहादुर बनाम द गवर्निंग बॉडी ऑफ द नालंदा कॉलेज (1962) सप्लिमेंट 2 एससीआर 144 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा। यह मामला एक कॉलेज के प्राचार्य के रूप में रिट याचिकाकर्ता को पदोन्नत करने से इनकार करने से उत्पन्न हुआ था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकारियों को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए एक परमादेश जारी किया जा सकता है, यह दिखाया जाना चाहिए कि क़ानून प्राधिकरण पर एक कानूनी कर्तव्य लगाता है और पीड़ित पक्ष के पास क़ानून या नियम के तहत इसे लागू करने का कानूनी अधिकार है। यह उत्कृष्ट स्थिति जारी है

और कर्मचारियों के पक्ष में सरकार को उन्हें स्थायी करने का निर्देश देने वाला परमादेश जारी नहीं किया जा सका क्योंकि कर्मचारी दिखा नहीं सकते कि उनके पास स्थायी रूप से समाहित होने का प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार है या उन्हें स्थायी बनाना राज्य का कानूनी कर्तव्य है"(मुख्य आयकर आयुक्त एवं अन्य बनाम श्रीमती सुशीला प्रसाद एवं अन्य (2007 (8) सुप्रीम 635) देखें।)"

7. उमा देवी के मामले (पूर्वोक्त) में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, हम उक्त निर्णय के आलोक में मामलों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना उचित समझते हैं।

8. उपरोक्त सीमा तक अपीलों को हर्जे खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीलें स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपीलें स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।